झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

## अधिसूचना

राँची, दिनांक ..............

संख्या–15/नीति नि०–07–05/2021 का०–........../ झारखण्ड राज्य के समाहरणालयों के लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त के निर्धारण हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–5028 दिनांक–15.06.2016 द्वारा अधिसूचित ''झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय सम्वर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2016'' की वरीयता से संबंधित नियम–8(ii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–6574 दिनांक–29.08.2018 के द्वारा प्रथम बार संशोधित है।

झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय सम्वर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2016 (यथा संशोधित) के नियम–13(ख) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन झारखण्ड के राज्यपाल एतद्द्वारा द्वितीय संशोधन नियमावली गठित करते हैं।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ**
   - (i) संक्षिप्त नाम :– यह नियमावली 'झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय सम्वर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) (द्वितीय संशोधन) नियमावली–2021' कही जायेगी।
   - (ii) विस्तार :– इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   - (iii) प्रभाव की तिथि :– यह नियमावली इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. ''झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय सम्वर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2016'' (यथा संशोधित) की कंडिका–4(ख)(i) के प्रावधान को विलोपित कर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:–

| पूर्व का प्रावधान | प्रतिस्थापन |
|---|---|
| ''**अनिवार्य योग्यता**:– सीधी भर्ती एवं सीमित प्रतियोगिता से भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ इंटरमीडियेट कांउसिल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।'' | ''**न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता**:– झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।<br>उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त प्रतियोगिता परीक्षा में मात्र वैसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता विचारणीय होगी जो मैट्रिक या 10वीं कक्षा भी झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण हों तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति–रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।<br>परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इन्टरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।<br>परन्तु यह कि अनुकम्पा नियुक्ति एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता शिथिल रहेगी।'' |

3. ''झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय सम्वर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2016 (यथा संशोधित)'' इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष अंश यथावत रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(वंदना दादेल)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–15/नीति नि०–07–05/2021 का०–3842/राँची, दिनांक:–10/08/2021

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

10.8.2021
सरकार के प्रधान सचिव।